न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री 'मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 23/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 सुखाराम पुत्र गमनाराम जाति सीरवी निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली।		1. गुणेशराम गोदपुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी सिसरवादा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भरतनाथ अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/8/21

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैसाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 228 रकबा 0.9700 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 236 रकबा 0.8900 है0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा मुख्य सड़क से निकटतम रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा तहसील सोजत मे स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा के खसरा नंबर 236 में से 30 फुट चौड़ा प्रार्थी के खसरा नंबर 228 तक दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मीचन्द देवासी ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। पर्याप्त अवसर के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1161 दिनांक 18.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत रोड़, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम सिसरवादा के ख0नं0 228 का खातेदार सुराराम पुत्र गमनाराम जाति सीरवी हैं। प्रार्थी ने उक्त खसरे में आने-जाने हेतु ख0नं0 236 में से रास्ता चाहा हैं। परन्तु ख0नं0 236 किसी भी रिकॉर्ड राजस्व रास्ते से नहीं मिलता हैं। मौके पर वैकल्पिक रास्ते के रूप में संयुक्त खातेदारियों में से रास्ता बना हुआ हैं, जिसका प्रार्थी आने-जाने के रूप में उपयोग कर रहा हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 138 मीटर × 4 मीटर = 0.0552 है0 हैं। ख0नं0 236 रकबा 0.8900 है0 में से 0.0552 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 177713/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (177713/- रू0 × 2 × 0.0552 है0 = 19619.52/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सोजत रोड़ की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का [illegible], भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 228 रकबा 0.9700 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 236 रकबा 0.8900 है0 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये वांछित रास्ते की भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया वांछित रास्ता मुख्य सडक से नहीं होकर अन्य काश्तकारों की खातेदारी से होकर जाता है। प्रार्थी द्वारा संबंधित काश्तकारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नहीं हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य नहीं होने, से स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23/12/21 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)